

( Under Section 154. P.C. )

1. Dist. Alipurduar P.S. Kalchini Year 2022 FIR No. 86/22 Date 01.06.22
2. (i) Act. IPC Sections 498A/326 (ii) Act 379 Section -
- (iii) Act. - Sections - (iv) Other Acts & Sections -
3. a) Occurrence of Offence : Day Tuesday Date 31.05.22 From 8 since long Date To -
- Time Period - Time From - Date To -
- b) Information received at P.S. Date 01.06.2022 Time 18:35 hrs
- c) General Diary Reference : Entry No (s) 26 Time 18:35 hrs
4. Type of Information : Written / Oral
5. Place of Occurrence : (a) Direction and Distance from P.S. 8/5 Km S/E approx. Beat No. -
- b) Address Atiabari Gudam line B - Kalchini Dist- Alipurduar.
- c) In case outside limit of this Police Station, then the Name of the P.S. - District -
6. Complainant / Informant :
- a) Name Smt Gita Debi Shas
- b) Father's / Husband's Name W/o Pundew Sah
- c) Date / Year of Birth - (d) Nationality Indian
- e) Passport No. - Date of Issue - Place of Issue -
- f) Occupation -
- g) Address W/o - Kalchini Moh. line B Kalchini Dist- Alipurduar.
7. Details of known / suspected / unknown accused with full particulars > Raj Kumar Sah  
( Attach separate sheet, if necessary ) : W/o not mentioned > Smt Samrati Sah  
W/o not mentioned > Bijay Ranthu W/o not mentioned & > Smt  
Radha Sah W/o Bijoy Ranthu all of Atiabari Gudam  
line B - Kalchini Dist- Alipurduar.
8. Reasons for delay in reporting by the Complainant / Informant : -
9. Particulars of Properties stolen / involved ( Attach separate sheet, if necessary ) : -
10. Total value of properties stolen / involved -
11. Inquest Report / U.D. Case No., if any -
12. FIR Contents, ( Attach separate sheets, if required ) : The original written Complaint which is treated as FIR is enclosed herewith.
13. Action taken : Since the above report reveals, commission of offence(s) as mentioned at item No. 2 registered the case took up the investigation / directed ASI Samrajit Roy to take up investigation / refused investigation / transferred to P.S. - on point of jurisdiction, FIR read over to the Complainant / Informant, admitted to be correctly recorded and a copy given to the Complainant / Informant free of cost.

14. Signature / Thumb impression of the Complainant / Informant
15. Date & Time of Despatch to the Court.

Signature of the Officer-in-Charge, Police Station

Kalchini PS, Dist. Alipurduar

Name T. N. Lama

Rank S.I. of Police No. 44/KCR B / B.M.

01/06/22

The Officer in charge  
Kalchini Police Station  
Kalchini Alipurduar

Date 31.05.2022

Recd on 01-06-22 at 18:35 hrs at PS  
vide 406 m 26 and started Kalchini  
PS Case no 86/22 dt 01.06.2022  
U/S 448A/326/379 IPC.

Sub: FIR

Officer-in-Charge  
Kalchini PS, Dist. Alipurduar

Respected Sir,

सविनय निवेदन यह है कि मेरी बेटी कविता कुमारी

साहू का विवाह अठियावाड़ी निवासी राजकुमार साहू के साथ  
हुआ था सन 2020 साल में। शादी के कुछ दिन बाद ही  
मेरी बेटी के साथ दामाद और सास मास-मारी करना था।  
जिसके फलस्वरूप कोर्ट में दोनों तरफ से मामला भी हुआ।  
था जो अभी तक चिरागित है। कोर्ट में 1 साल तक।  
मामला चलने के बाद कोर्ट के आदेशानुसार मेरी बेटी  
और दामाद फिर से साथ-साथ बुदामलाईन, अठियावाड़ी  
में रहने लगे। लगभग 6 महीने बितने के बाद अप्रैल  
महीने के 26.04.22 को मेरा दाम मेरी बेटी को यह  
कहकर धीरे राधा कि वह निमती में एक शादी में जा  
रहा है और 2-4 दिनों बाद आकर कविता को ले  
जायेगा लेकिन 34 दिनों के बीत जाने के बाद भी वह  
कविता को ना तो लेने आया ना ही फोन किया और ना  
ही हमारे फोन का जवाब दिया। आज दिनांक 31.05.22  
को शुण्ड मेरी बेटी ने अपने ससुराल के एक पड़ोसी  
की साहायता से दामाद से बात हुआ। फोन में मेरे  
दामाद और सम्बन्ध रामली साहू ने मुझसे कहा कि  
आप कविता को अठियावाड़ी बुदामलाईन उसके ससुराल  
पहुँचा दीजिए। इसके बाद मैं अपने बेटा अनील साहू और  
बेटी को लेकर दोपहर 2 बजे के करीब वहाँ पहुँच  
गये। वहाँ पहुँचते ही राजकुमार मेरी बेटी को गंदा-



गाली दिया और उसी दो पार चक्का मारके आँगन के बाहर पटक दिया यह कहते हुए कि 'तुम मेरे घर-से आग जाओ नहीं तो जान से मार दूंगा' मैं और मेरा बेटा जय कविता को बचाने गये तो वहाँ मौजूद राधा साह, निजय शउत (पति-पत्नी) और शमशरी साह भी राजकुमार के साथ हमारे ऊपर लकड़ी के डण्डा, लोहे के शह लाया खुखरी (Dagger) से जान से मारने का प्रयास किया। वे लोग मुझे और मेरी बेटे को लुट्टा-छूटान कर दिया। मुझे नजदीकी ATABARI T.E. अस्पताल ले जाया गया जहाँ 5 सिलाई (Five Stitches) लगे और वैदिक उपचार के लिये मुझे UTTAR LATABARI

RURAL अस्पताल भेज दिया और डॉ० ने यह सलाह दिया कि मेरा CT SCAN किया जाये ALIPURDUAR DIST. HOSPITAL में। उपर घटना में मैं पूरी तरह से घायल हुए और मेरा सर से बहुत सारा रक्त (Blood) निकले जिससे मेरा पहना हुआ (Wearing Apparel) रक्त से गिंदा गया और किसी तरह से जान बचाकर वहाँ से निकल पड़ा। उक्त घटना में मेरे बाले का सौने का चैन राधा साह ने छीन लिया।

मैं इस FIR के साथ मेरे घायल अवस्था का कुछ तस्वीरें (Photographs) और डॉ० द्वारा किये गये पाँच-सिलाई (Five Stitches) का Prescription भी संग्रहण की हूँ।

अतः आप से विनती है कि अपराधियों पर सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाये।

इस FIR को पढ़ाकर मुझे सुनाया गया। और पूरी तरह से समझने के बाद मैं अपना L.T.I दे रही हूँ।

आपका आज्ञाकारी

गीता देवी साहू  
Rajeshwari, Modli Lane

8906664471